



85

समक्ष - माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निग-586-IV निगरानी प्रकरण क्रमांक/2016

1. मेसर्स एटीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.,
तर्फे अधिकृत संजय पिता स्व. अमोलकचंदजी कांकरिया
पता -

2. मेसर्स अशोका बिल्डकॉन लि.
तर्फे अधिकृत संजय पिता वसंतराव करंजकर
पता - 37, शांति नगर, मुसाखेडी, इन्दौर

प्रार्थीगण

विरुद्ध

दिनांक 17-2-16 का
श्री प्रदीप राठोर को 20
का.प्र. 50/16

1. म.प्र. शासन
द्वारा श्रीमान् कलेक्टर,
(खनिज) नीमच

2. विनोद राठोर,
पटवारी, ग्राम सगराना जिला नीमच

3. दिलीप राठोर,
ग्राम सगराना जिला नीमच ✓



4. रतनसिंह ठाकुर
पटवारी ग्राम खोखरा जिला मंदसौर

प्रत्यार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान कलेक्टर (खनिज) नीमच द्वारा अपने पत्र क्र. 50/खनिज/16 दिनांकित
08/01/2016 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संबंध में




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 586-तीन/16

जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.1.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री ओपी०शर्मा, उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री प्रखर डंगूला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण का परीक्षण किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लगभग 2 वर्ष की अवधि में परिवेदित आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई । आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में प्रकरण आगे नहीं चलाया जा सकता है, इसलिये यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>